

6

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० ०१ (नॉ)

यह नामनिर्देशन मुझे/हमें कार्यालय में 10.05.2018 (तारीख) को 1.15PM (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थामक मोहम्मद इरफान (नाम) द्वारा परितल किया गया।

तारीख 10.05.2018

लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

निर्वाची अधिकारी
50-जोकीहाट पोस्टो
-सह-अपर समाहर्ता
अररिया

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

.....
.....
.....

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

दिनांक

"प्रारूप 26"
(नियम 4 क देखिए)



2

NOTARY ARARIA



50 जोकीहाट विधान सभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

बिहार विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

AFFIDAVIT No - 128 / 2018

भाग-क
मैं मोहम्मद इरफान **पुत्र/पुत्री/पत्नी शेरव हमिदुर्रहमान

आयु 71 वर्ष, जो सा० चिकनियों, वाई नं० 12, पी०-पी.टी. इमरिया,
थाना- महलगाँव, जिला- अररिया, राज्य- बिहार, पिन- 854325.

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित



कथन करता हूँ/करती हूँ :-

शून्य (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

उपरोक्त अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 50 जोकीहाट विधान सभा बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)

में भाग सं. 174 के क्रम सं. 254 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9934459926 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्या है/हैं और शून्य

मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य

मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं। - शून्य

Subscribed by
Sanjay Singh
10.5.18

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

4) रखाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं	AACP 14353E	2017-18	1089200 रुपये
2.	प्रति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य.

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की



करेगा/करेगी- यदि अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। **नहीं।**

(1) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-
 (क) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-
 (क) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकی गई है/हैं	शून्य.

[Handwritten Signature]
 10/5/18

[Handwritten Signature] 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

(ii) निम्नलिखित नामला (मामलों) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, नामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य.
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य.
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है: **लागू नहीं.**

यदि अनिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं.
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, नामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य.
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य.
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य.

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

- टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्वष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

g d... by
Soma...
10.5.18

RKR 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	60,000 रु	30,000 रु	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, अत्यधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातों भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	S. B. I Main Branch Araria A/C No 1143 2673917 में जमा रूप में 3744,69 से.	उत्तर बिहार ग्रामिण बैंक खाता क्रमांक 10081310 30008212 में जमा रूप में 7834 रूप में	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	व्यक्ति या निकाय जिसमें किसी कंपनी, न्यास आदि को दिए गए दैयवित्तक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तुएं (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	जेवरात का मूल्य 1.840000 रु	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	63744,69 रु	2,21834 रु	शून्य	शून्य	शून्य

g.dubey by
Ranjan Kumar Verma
10.5.18

R.K.V. 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

आ - स्थावर आस्तियों के ब्योरे

टिप्पणी - 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है -

टिप्पणी - 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं			प्रति या पत्नी			आश्रित1	आश्रित2	आश्रित3
		मौजा	खाता	रकबा	मौजा	खाता	रकबा			
i.	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षक संख्यांक (संख्याएं)	चिकनिया 290	141,142, 137,20,13, 46, 53.	4.60 एकड़	चिकनिया 290	03	0.09 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य
		कोचगामा 282	275,207, 156.	1.59 एकड़	डुमरिया 276	20	1.34 एकड़			
		डुमरिया 276	238,270, 131,244, 032,132, 414,243, 416,415, 412,413, 531,03.	8.12 एकड़						
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)			14.31 एकड़			1.43 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)		हां		हां		शून्य	शून्य	शून्य	
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख		शून्य		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		शून्य		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		शून्य		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	

g...
form...
10.5.18

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (Bihar)

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	36,85,000रूपये			3,50000रूपये			शून्य	शून्य	शून्य
ii.	गैर कृषि भूमि अवस्थित (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मौजा	खाता	रकबा	मौजा	खाता	रकबा	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य	बसंतपुर 206	614	0.42डी0			
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य			= 27,720 वर्ग फीट			शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य			हां			शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भूमि क्रम लागत कय की दशा में	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य
	विकास निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य			63,00000 रूपये			शून्य	शून्य	शून्य
iii.	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य			शून्य			शून्य	शून्य	शून्य



Ranjan Kumar Verma
Ranjan Kumar Verma
 10/5/18
 शून्य

G. S. Singh
Tom Singh

NOTARY
ARARIA (BIHAR)

	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा मे कय की तारीख	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भुमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सवैक्षण सख्यांक (सख्याएं)	मौजा ककोडवा 302	खाता 207	रकबा 0.13 डी0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	8666 वर्ग फुट			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	आवासीय भवन आदि 2210 वर्ग फुट में			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा मे कय की तारीख	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कय के समय भुमि की लागत (कय की दशा में)	02.06.1973 ई0			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	3000 रुपये			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1,30,00000 रुपये			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Ranjan Kumar Verma
Ranjan Kumar Verma
 15/11/18

NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Godubha by
Tom...

(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,66,85,000 रुपये	66,50,000 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्व /शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृप्या बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित1	आश्रित2	आश्रित3
1.	बैंक /वित्तीय संस्था (संस्थाआ को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त विवरण से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Signature
10.5.18

RKV 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

(iii) सरकारी शांध्य, सरकारी आवास से बरतने वाले विभाग को शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शांध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) कब कोई अन्य दायित्व सिवादायक है, यदि हां तो आवधिक रकम और उस आवधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं सेवा निवृत्त विभागाध्यक्ष, राजमिठि शास्त्र, की. एन. मण्डल विश्व विद्यालय मधेपुरा बिहार.

(ख) प्रति या पत्नी गृहिणी.

(9क) आय के (स्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं पेंशन एवं खेती से.

(ख) प्रति या पत्नी शून्य.

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है- संलग्नक संलग्न है.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौर दें)

Subscribed by
Ranjan Kumar Araria
10.5.18

Ranjan Kumar Araria
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

संलग्नक

प्रारूप 26 का क्रमांक (10) अभ्यर्थी मोहम्मद इरफान का शैक्षणिक आर्हताएँ :-

शैक्षणिक वर्ग	शैक्षणिक स्थान	शैक्षणिक वर्ष	शैक्षणिक संस्थान
1. मैट्रिक	कलानंद उच्च वि० गढबनैली पूर्णियाँ	1962	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना
2. मास्टर ऑफ आर्ट	राँची विश्व विद्यालय राँची	1970	राँची विश्व विद्यालय राँची
3. बैचलर ऑफ लॉ	छोटा नागपुर लॉ कॉलेज राँची	1968	राँची विश्व विद्यालय राँची



Subscribed by

[Handwritten signature]

10.05.2018

Ranjan Kumar Verma

NOTARY
ARARIA (BIHAR)

[Handwritten initials] 10/5/18

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यारे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ मोहम्मद इरफान.				
2	डाक का पता	खाफिन- चिकमियाँ, कार्ड नं० 12 पोस्ट- पी. टी. इमरिया, धाना-महलगाँव. जिला- अररिया, राज्य- बिहार- 854325.				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	50 जोकिहाट विधान सभा, बिहार.				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र.				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	शून्य.				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य.				
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्ध दोष दर्शाया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य.				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	AACP 14353E	2017-2018	10,89,200 रुपये.		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य.		
	(क) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य.		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	36,85,000 रुपये.	3,50,000 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य

gated up by
10.5.18

8 Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

	I.	स्वयंकरित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	3000 रूपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वयंकरित आस्तियां (कुल मूल्य)	1,30,00,000 रूपये.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	36,85,000 रूपये.	66,50,000 रूपये	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता:					
		<u>शैक्षणिक वर्ष</u>	<u>शैक्षणिक स्थान</u>	<u>शैक्षणिक वर्ष</u>	<u>शैक्षणिक संस्थान</u>		
		1. मैट्रिक — कला नंद उच्च वि० गढ़मैली, झुपिआँ.		— 1962. —	विद्यार् वि० परीक्षा स० पटना, बिहार		
		2. मास्टर ऑफ आर्ट्स — सौधी विश्व वि० सौधी		— 1970 —	सौधी विश्व वि० सौधी		
		3. बैचलर ऑफ लॉ — ज्योयनागपुर लॉ कॉलेज सौधी		1968 —	सौधी विश्व विद्यालय सौधी		
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरे दें।)					



Handwritten signature and date:
 10.5.18

Ranjan Kumar Verma
 NOTARY
 ARARIA (BIHAR)



सत्यापन

Rs-100/-
10.05.2018

की इराके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र को विषय-वस्तु मेरी सहायता और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का नामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 10.05.2018 को सत्यापित किया गया।

Authorized U/S Sec of the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (I) of the Notaries Act (Act II of 1952)

Sr/Smt. Ranjan Kumar Verma
Who is identified by Araria
Advocate solemnly affirmed and declares before me.

g durbey
10/05/18

सहायक इरफान
अभिसाक्षी

टिप्पण:

1. शपथपत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ न्यायालय में प्रेषित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

टिप्पण:

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण:

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण:

4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण:

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस

टिप्पण:

द्वारा बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने

टिप्पण:

के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई

टिप्पण:

भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच

टिप्पण:

कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं,

टिप्पण:

अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध

टिप्पण:

कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु

टिप्पण:

कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये

टिप्पण:

जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ

टिप्पण:

को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी

टिप्पण:

द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण:

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

टिप्पण:

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9934459926

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

g durbey
10.5.18



19

RS-100/-
10.05.2018

Annexure

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to Bihar Bidhan Sabha (Name of the House),

From 5A J.O. Khat Assembly Constituency.

AFFIDAVIT No. 129/2018

NOTARY ARARIA

I Mohammad Irfan (Name of Candidate), Son/Daughter/wife of Shri. Mr. Hamidurrahman, aged 71 years, Resident of Chikariyan W.N. 12, Post - P.T. Dumaria, P.S. Mahalgour, Dist. Araria Candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on _____ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues Certificates" from the agencies concerned are attached hereto. N.A.

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at Court Compound, Araria this the 10th day of May 2018....

Sri/Smt. Mohammed Irfan
Who is identified by A. Irfan Verma
Advocate solemnly affirmed and declare before me.

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

DEPONENT

Mohammed Irfan
Irfan Verma

Authorized U/S 86 of the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (1) (e) of the Notaries Act (Act 13 of 1962)